

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री रामदर सिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2024/ 5383

दिनांक - 06/09/24

प्रार्थी
1 दीपाराम पुत्र
हुलाराम जाति कुम्हार
निवासी गोरधन नगर
तहसील बाटाडू जिला
बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण

1 रामाराम 2 बांकाराम पिसरान प्रतापाराम 3
मंगलाराम पुत्र शेराराम जाति नाई 4 देदाराम पुत्र
होलाराम 5 प्रभुराम पुत्र नवलाराम जाति कुम्हार
निवासी गोरधन नगर 6 राणाराम 7 सवाईराम
पिसरान मंगलाराम जाति कुम्हार निवासी छीतर का
पार तहसील व जिला बाड़मेर।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 533/2024

दिनांक-

आदेश

04/09/24

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा गोरधन नगर पटवार हल्का हुडों की ढाणी तहसील व
जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 531/289 रकबा 5.4203 हैक्टेयर भूमि के चारो
तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को
कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थनी व
अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल
में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी
निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की
जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित
की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(रामदर सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर


दिनांक- 06/09/24

क्रमांक :- रीडर/2024/ 5384-87

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी हुडों की ढाणी तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय
रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी दीपाराम पुत्र हुलाराम जाति कुम्हार निवासी गोरधन नगर तहसील बाटाडू व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी रामाराम पुत्र प्रतापाराम वगैराह निवासी गोरधन नगर तहसील बाटाडू व जिला
बाड़मेर।




उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर